

श्रीमान जी. राम - श्रीमती के पटवारी रिपोर्ट के खता सं. 44 में खरीदारी के नाम (1) बाबू पुत्र सम्मा, (2) मोहम्मद पुत्र सम्मा, (3) लक्ष्मण पुत्र सम्मा दर्ज है, और जमींदार के अनाम दस्तावेजों में (आधार कार्ड, बजट कार्ड आदि) नाम (1) बाबू पुत्र सम्मा, (2) मोहम्मद पुत्र सम्मा, (3) लक्ष्मण पुत्र सम्मा दर्ज है, राजस्व रिकॉर्ड में उमर खरि किसान का नाम दर्ज है, और राजस्व रिकॉर्ड में उमर खरि को अभी किसान माना उल्लिखित है।

श्रीमान जी, मुताबिक रिपोर्ट पटवारी, मौज्जा परखा, जिला अजमेर, तहसील नसीराबाद, पटवार मण्डल, नसीराबाद, जिला अजमेर, तहसील नसीराबाद के पिता का नाम समदा के स्थान पर सम्मा दर्ज किया जाता उचित होगा।

पटवारी
तहसील नसीराबाद
जिला अजमेर

तहसीलदार की रिपोर्ट

पं. ए. सी. रिपोर्ट व मू. अ. रि. की जांच के आधार पर दुरुस्ती की आदेशों की जारी हैं।

26/9/25

2025
497

शिबिर प्रभारी
प्रभारी अधिकारी "ग्रामीण सेवा शिबिर" (मू. अ.) नसीराबाद

क्रमांक / 212

दिनांक:- 29/9/25

आदेश

उपरोक्त प्रार्थियों ने मेरे समक्ष उपस्थित होकर उपरोक्त प्रकार से अभिलेख में दुरुस्ती हेतु निवेदन किया गया है एवं इस दुरुस्ती को करने हेतु सहमति लिखित में दी है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट एवं मू.अभिलेख निरीक्षक की जांच रिपोर्ट व तहसीलदार नसीराबाद की अनुशंषा अनुसार राजस्थान मू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम श्रीमती तहसील नसीराबाद की जमावंदी संवत् 2072-75 के खाता संख्या 44 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टी को निम्नलिखित रूप में शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं।

क्र. सं.	पूर्व इन्द्राज का विवरण			स्वीकृत किया गया नया इन्द्राज		
	खातेदार का विवरण	खसरा नम्बर	रकबा	खातेदार का विवरण	खसरा नम्बर	रकबा
1.	बाबू पुत्र सम्मा जामि - भेर	उपरसत खाता सं. में वर्जित अनुसार		1) बाबू पुत्र सम्मा जामि - भेर	उपरसत खा. सं. में वर्जित अनुसार	
2.	मोहम्मद पुत्र सम्मा जामि - भेर			2) मोहम्मद पुत्र सम्मा जामि - भेर		
3.	लक्ष्मण पुत्र सम्मा जामि - भेर			3) लक्ष्मण पुत्र सम्मा जामि - भेर		



क्रमांक :- 5/24-25

दिनांक 29/9/25

प्रतिक्रिया :- 1) तहसीलदार नसीराबाद को पालनार्थ
2) आदेश पत्रावल

प्रभारी अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद, जिला अजमेर